संख्या- 27/2015/110 बीपी/35-1-2015

प्रेषक,

जे.बी.सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ :दिनांक 03 जून, 2015

विषय:बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत सिंचाई विभाग की परियोजनाओं हेतु धनराशि की अवमुक्ति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2010-11 में शासनादेश संख्या-235(1)/35-आ-1/2011 दिनांक 11 फरवरी, 2011 के माध्यम से बुन्देलखण्ड पैकेज के अधीन Restoration and lining of Kuthond branch system नामक परियोजना को रू. 2528.38 लाख (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता रू. 1825.38 लाख और मनरेगा रू. 703 लाख) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू.1050.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा रू. 35.00 लाख का व्यय किया गया तथा अवशेष धनराशि समर्पित कर दी गई। वर्ष 2011-12 में परियोजना के अवशेष कार्यों हेतु रू. 1790.38 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई, विभाग द्वारा रू. 630.00 लाख की धनराशि व्यय की गई और शेष धनराशि समर्पित कर दी गई। वर्ष 2012-13 में परियोजना के अवशेष कार्यों हेतु रू. 1160.38 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई, विभाग द्वारा रू. 320.00 लाख की धनराशि व्यय की गई और शेष धनराशि समर्पित कर दी गई। वर्ष 2013-14 में परियोजना के अवशेष कार्यों हेतु रू. 840.38 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई, विभाग द्वारा रू. 180.00 लाख की धनराशि व्यय की गई और शेष धनराशि समर्पित कर दी गई। वर्ष 2014-15 में परियोजना के अवशेष कार्यों हेतु रू. 660.38 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई, विभाग द्वारा रू. 170.00 लाख की धनराशि व्यय की गई और शेष धनराशि समर्पित कर दी गई। वर्ष 2014-15 तक परियोजनान्तर्गत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता लागत के सापेक्ष रू. 1335.00 लाख धनराशि व्यय हुई है। अत: परियोजना के अवशेष कार्यों को पूर्ण करने के लिये अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू. 490.38 लाख (रूपये चार करोड़ नब्बे लाख अड़तीस हजार मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- सन्दर्भित शासनादेशें की अन्य शर्तें यथावत रहेगी।
2- इस शासनादेश से परियोजना की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता लागत के सापेक्ष पूर्ण धनराशि का आवंटन हो जाता है। कार्यों को मानको के अनुरूप गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जायेगा तथा लागत में वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
3- मनरेगा से अपेक्षित धनराशि ग्राम्य विकास विभाग से समन्वय करते हुए प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
4- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान कार्यालय महालेखाकार इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 03 माह में अर्थात 30 जून 2016 तक अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कार्यवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना पूर्व निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग को भेजी जायेगी।

2- स्वीकृत धनराशि के समक्ष होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजट के अनुदान संख्या-40 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष 4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-पिछड़े क्षेत्र-800-अन्य व्यय-04-बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें -32- कुथौंड ब्रांच की पुर्नस्थापना/लाइनिंग का कार्य-24-वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा। उक्त धनराशि आदेश संख्या-यू.ओ. 07/35-1-2015, दिनांक 02 जून, 2015 द्वारा लेखाशीर्ष 4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-पिछड़े क्षेत्र-800-अन्य व्यय-03-बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें-00-42-अन्य व्यय में उपलब्ध बचतों में से पुनर्विनियोग कर स्वीकृत की गई है।

3- यह आदेश वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या:2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जे.बी. सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या–27/2015/110 बीपी (1)/35-1-2015, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2-महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलहाबाद।
3-प्रमुख सचिव, वित्त विभाग।
4-प्रमुख सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन/ग्राम्य विकास विभाग ।
5-निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
6-मण्डलायुक्त, झांसी/ चित्रकूट धाम।
7-जिलाधिकारी, झांसी/ ललितपुर/ जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
8-मुख्य विकास अधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
9- कोषाधिकरी, झांसी/ललितपुर/जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
10-वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग-5
11-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, झांसी/ ललितपुर/ जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
12-गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(जे.बी.सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।